

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०17/2017-सेवाकर

दिनांक: 4 मई, 2017

सा०का०नि० (अ). केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 25/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा०का०नि० 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 26क में, मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(छ) प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना;”.

(फा.सं.354/75/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं० 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 204(अ) तारीख 8 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 10/2017-सेवा कर, तारीख 8 मार्च, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।